राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 160वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **19.02.2024** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की **160वीं** बैठक **श्री अजय कुमार खुराना**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री पवन जैमन, संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, श्री सी.पी. मण्डावरिया, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.) विभाग, राजस्थान सरकार, श्री नवीन नंबियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, डॉ. राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री विकास अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, श्री हर्षदकुमार टी. सोलंकी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 160वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- **Viksit Bharat Sankalp Yatra**- राज्य में सफलता पूर्वक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके तहत बैंकों द्वारा दिनांक 26.01.2024 तक 1.97 Lacs PMJDY A/c, 5.58 Lacs PMJJBY, 9.85 Lacs PMSBY, 13,560 PMMY Applications, 271 Stand Up India Applications, 1.11 Lacs APY आवेदन स्त्रोत किए गए हैं। सभी बैंकों से VBSY के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करने का अनुरोध है।
- **PM JANMAN-** 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) शुरू किया है, जो विशेष रूप से ऐसे particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) के विकास पर केंद्रित है, जो अभी भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। इस योजना के तहत चिन्हित जिलों में PVTGs को PMJDY व KCC के तहत कवर किया जाना है। राजस्थान में इस अभियान के लिए बारां ज़िले को चयनित किया गया है।
- **PM Vishwakarma Yojana-** 'पीएम विश्वकर्मा योजना' की शुरुआत दिनांक 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य traditional artisans के विकास को बढ़ावा देना/ सहायता करना है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि अपनी बैंक शाखाओं को पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर संबन्धित लाभार्थियों के खाते के विवरण का सत्यापन करने का निर्देश देवें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)
- **Expanding & Deepening of Digital Payments Ecosystem:** RBI के पत्र दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है कि, 100% digital district कार्यक्रम के implementation से प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाते हुए, राज्य के सभी जिलों को 100% digitize करने हेतु कार्यवाही की जानी है। जिसके बाद राजस्थान को अप्रेल 2024 तक 100% डिजिटल राज्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़िला-वार 100% digitization की time-line निर्धारित की गयी है। सभी बैंकों एवं LDMs से अनुरोध है कि निर्धारित समयसीमा में संबन्धित ज़िले को 100% डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे राज्य के विकास हेतु **केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं** में अपना योगदान प्रदान करें। एमएसएमई एवं कृषि से संबन्धित प्रमुख योजनाओं का समर्थन करने से न केवल Micro Enterprises के Portfolio में वृद्धि होगी बल्कि राज्य में रोजगार एवं कृषि से जुड़ी अधिकतम निवासियों का समग्र आर्थिक विकास होगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होने सदन को संबोधित करते हुए निम्नानुसार अवगत कराया–

- भारतीय बैंकों की deposit growth, credit growth से कम है। दिसंबर 2023 में RBI द्वारा जारी डाटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15% credit growth की तुलना में 11% deposit growth हुई है।
- Scheduled Commercial Banks का Gross NPA ratio मार्च 2023 के अंत में एक दशक के निचले स्तर 3.9 % और सितंबर 2023 में 3.2% तक आ गया है।

आगे उन्होने राजस्थान के कुछ **नवीनतम घटनाक्रमों** पर प्रकाश डालते हुए सूचित किया कि-

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य में गठित नए जिलों के लिए लीड बैंकों को identify कर लिया गया है। सभी identified Lead Bank से नये जिलों में जल्द से जल्द R-SETIs और FLCs की स्थापना करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक)

- Brick & Mortar Branches: DFS के निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में Brick and Mortar Branch खोलने के लिए 108 Locations को चिन्हित किया गया है। जिनमें से 102 Locations पर शाखाएं पहले से कार्यरत हैं या फिर आवंटन के बाद खोल दी गयी हैं। बची हुई 6 Locations पर जल्द से जल्द Branch खोलने हेतु संबन्धित बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आईडीएफ़सी बैंक)

- DFS द्वारा March 2023 में बैंकिंग सेवाओं से वंचित राज्य के 182 गांवो की list प्रदान की थी। इन सब केन्द्रों को अब Banking Outlet से कवर कर दिया गया है।
- 26 जनवरी, 2024 को, राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य की economy को मजबूत करने के लिए एक Economic Revival Task Force के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य Ease of doing Business model के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक एवं सामाजिक विकास को पहुंचाना है। इसमे बैंकों का अहम role है। बैंकों से अनुरोध है कि राज्य की economy को सशक्त करने के लिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन करें एवं छोटे व्यवसायों को Finance करें।
- लखपती दीदी सम्मेलन के तहत बेनेश्वर धाम, जिला डूंगरपुर, राजस्थान मे 14.02.2024 को माननीया राष्ट्रपति, भारत तथा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा राशि रु. 250 करोड़ के ऋण का चेक स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को प्रदान किया गया। पिछले वर्ष दिसम्बर 2023 में भी माननीया राष्ट्रपति महोदया द्वारा जैसलमेर, राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को रु 100 करोड़ के ऋण का चेक प्रदान किया गया था।
- सम्पूर्ण देश में सफलता पूर्वक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया जिसमे बैंकों की विभिन्न योजनाओं PMJJBY, PMSBY और KCC में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है।

उन्होने राज्य में बैंकों के विभिन्न **key indicators जैसे Business Growth, Priority Sector Lending आदि** की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए सूचित किया कि-

- दिसम्बर, 2023 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business **रु 12.90 लाख करोड़** पहुंच गया है। बैंकों ने Deposit में **12.39%** की Y-o-Y Growth की है और Advances में **20.96%** की Y-o-Y Growth की है।
- राज्य का CD Ratio दिसम्बर, 2023 तक **95.25%** है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। **Advances to Priority Sector** ने **19.33%** की Y-o-Y Growth की है। Agriculture Advances में **15.31%** की Y-o-Y Growth हुई है एवं MSME Advances में **23.39%** की Y-o-Y Growth हुई है।
- Financial Year 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक **Total Priority Sector** के ACP के लक्ष्यों के सापेक्ष Achievement **85.89%** है। **MSME** के ACP मे Achievement **120.40%** और **Agriculture** के ACP में Achievement **73.14%** है जिसे बढ़ाने हेतु सक्रियता से कार्य करने का बैंकों से अनुरोध है।

उन्होने सभी बैंकों से निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया:

- KCC Saturation Drive में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का डाटा बैंकों को प्रेषित किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि इन्हे भी जल्द से जल्द KCC के लाभान्वित करें।

- बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY account खोलना और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY, PMSBY, APY) से भी लाभान्वित करना। इस हेतु इन योजनाओं के लाभों के संबंध में बैंक ग्राहकों को जागरूक करें।
- कृषि क्षेत्र में Investment Credit में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।
- 'Digital Financial Literacy के प्रसार पर ध्यान दें।
- निर्धारित समय सीमा में राज्य के सभी जिलों को 100% डिजिटल बनाते हुए राज्य को अप्रेल 2024 तक 100% डिजिटल राज्य बनाना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-
- राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है जिसके लिए बैंकों को धन्यवाद।
- बैंकों से अपेक्षा है कि राज्य में गठित नए जिलों में भी वित्तीय समावेशन तथा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बढ़ावा देने में आवश्यक योगदान प्रदान करेंगे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि) विभाग, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि) विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-
- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त और 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य है। इस क्रम में बैंकों से निम्नानुसार अनुरोध है-
  - बैंक के कर्मचारियों/ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हों।
  - राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करावें।
  - बैंकों शाखाओं में कार्यरत स्टाफ एवं बैंक मित्रों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की पूर्ण जानकारी नहीं होती है जो कि चिंतनीय है। बैंकों से अनुरोध है कि इन्हे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जागरूक बनाने हेतु कार्यवाही करें।
  - मुख्यमंत्री कार्यालय या राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्राप्त बैंकिंग क्षेत्र से संबन्धित शिकायतों का निस्तारण 3 दिनों में कर संबन्धित कार्यालय को सूचित करें। साथ ही प्रयास करें कि बैंकों के विरुद्ध कम से कम public grievances प्राप्त हों।
  - राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों के संबंध में सचेत रहें और बैंक स्टाफ तथा बैंक ग्राहकों को भी जागरूक करें।

    (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)
  - जिन 6 केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखाएँ खोला जाना लंबित है, संबन्धित बैंकों से जल्द से जल्द शाखाएँ खोलने का अनुरोध है।

    (कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)
- राज्य के 100% डिजिटलीकरण में पूर्ण सहयोग देने हेतु राज्य सरकार तत्पर है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य में जमा वृद्धि दर और उससे दोगुनी अग्रिम वृद्धि दर सराहनीय है जिसके लिए बैंकर्स को बधाई। अग्रिम वृद्धि दर के सापेक्ष जमा वृद्धि दर कम है जिसे बढ़ाने के लिए सभी हितग्राहकों को कार्य करना आवश्यक है।
- ज़िले-वार District Domestic Product (DDP) के deposit mobilization के संग correlation के अध्ययन से पता चला है कि सबसे अधिक बैंक शाखाएँ जयपुर ज़िले में है, तथा राज्य में अग्रिम और जमा की उपलब्ध संभावनाओं को पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यक है कि बैंक नयी शाखाएँ खोलते और मौजूदा शाखाओं का पुनर्गठन करते समय, resource mobilization/ deployment विचारपूर्वक करें।
- राज्य में अधिक मात्रा में बैंक मित्र असक्रिय हैं, जिनहे सक्रिय करने/ प्रतिस्थापित करने हेतु संबन्धित बैंक त्वरित कार्यवाही करें।
- शाखाओं में कार्यरत स्टाफ और बैंक ग्राहकों में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सभी बैंक ऋण की सुगम और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 वर्ष पूर्व Public Tech Platform for Frictionless Credit का शुभारंभ किया है किसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्थान सरकार से राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु चर्चा मे है। सभी बैंक Public Tech Platform for Frictionless Credit के राज्य में सुगम और सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
- दिनांक 26 फरवरी, 2024 से 01 मार्च, 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षारता सप्ताह- 2024 का आयोजन किया जा रहा है जिसकी थीम है- "Make a Right Start – Become Financially Smart" अर्थात "करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट"। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए pamphlets/ leaflets को अधिक से अधिक बैंक ग्राहकों में प्रसारित करना सुनिश्चित करें।
- आगामी वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे जिसके दृष्टिगत कॉलेज के छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बैंकों से अनुरोध है कि उक्त प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को सफल बनाने में आवश्यक सहयोग और योगदान प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वार्षिक साख योजना तैयार करते समय हितग्राहकों से Hybrid Approach अपनाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि PLP और ACP संरेखित हों।
- राज्य में ज़िला वार per capita distribution of credit accounts को बढ़ाने के लिए वार्षिक साख योजना बनाते समय उपयुक्त रणनीति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। (उदाहरणतः धौलपुर ज़िला per capita distribution of credit accounts के संदर्भ में राष्ट्र में निम्न 10% जिलों में से है)।
- सभी बैंकों और अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा में संबन्धित जिलों और पूर्ण राज्य के 100% डिजिटलीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- नए जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों और डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि इन जिलों में जल्द से जल्द FLC और R-Seti की स्थापना का कार्य पूर्ण करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं यूको बैंक)

- FLC के रिक्त पदों पर नए वित्तीय साक्षारता सलाहकार को जल्द से जल्द स्थापित करना, संबन्धित संयोजक बैंक सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक)

- आर-सेटी प्रयोजक बैंक संबन्धित आर-सेटी में पर्याप्त और कुशल स्टाफ, पर्याप्त इनफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि उपलब्ध कराएं और R-Seti का सशक्तिकरण करें।
- मार्च 2024 तक सभी जिलों के सभी ब्लॉक को CFL के द्वारा कवर करना सुनिश्चित करें।
- FLCs और CFL के माध्यम से डिजिटल और साइबर अपराधों के संबंध में जनता में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अनुरोध है कि तिमाही के दौरान New to Credit (नए ऋण खाते एवं ताज़े ऋण वितरण) का ज़िला-वार विश्लेषण करे ताकि इसके तहत न्यूनतम प्रदर्शन वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर सुधार की कार्यवाही की जा सके।

- साथ ही उन्होने यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया कि प्रत्येक आगामी एसएलबीसी बैठक में आरबीआई के परामर्श से हितधारकों के लाभ के लिए प्रासंगिक एजेंडा बिन्दु पर विशेषज्ञों की एक प्रस्तुति शामिल की जाए (उदाहरण के लिए, ई-केवाईसी अगले एसएलबीसी में प्रस्तावित है)। उन्होने यह भी बताया की आगामी एसएलबीसी में CIBIL द्वारा भी राजस्थान राज्य की Credit Profile पर प्रस्तुतीकरण दिया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

- उन्होने आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से आरबीआई कि अग्रणी जिला योजना के संबंध में अधिक जागरूकता / प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जिला कलेक्टर के साथ ऑनलाइन सत्र (Meeting) आयोजित करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- वार्षिक साख योजना के तहत कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 73% है एवं वर्ष-दर-वर्ष (दिसम्बर 2022- दिसम्बर 2024) वृद्धि 9% जो संतोषजनक नहीं है।
- Other Priority Sector के तहत उपलब्धि 27% है जो बहुत कम है और चिंतनीय है। बैंक Other Priority Sector के तहत ऋण वितरण बढ़ाने हेतु कार्यवाही करें।
- निवेश ऋण में 27% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है, जो सरहनीय है। बैंकों से अनुरोध है कि वृद्धि दर बनाए रखें और जल्द से जल्द निवेश ऋण को 40% के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु सक्रिय कार्यवाही करें।
- निवेश ऋण के तहत वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन सराहनीय है, पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है।
- 75% पात्र JLGs का वित्तपोषण कर दिया गया है पर इसमे के अधिकतम वित्तपोषण NBFCs और Small Finance Banks के द्वारा किया गया है। इसमे वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपना योगदान बढ़ाने की आवश्यकता है।
- राज्य में डूंगरपुर और सिरोही के अतिरिक्त सीडी अनुपात के तहत प्रगति सराहनीय है। डूंगरपुर जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60% के बेंचमार्क को पार करने की ओर अग्रसर है।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोधपुर में अग्रणी ज़िले प्रबन्धकों, ज़िला विकास प्रबन्धकों एवं आर-सेटी निदेशकों हेतु 18-19 जनवरी, 2024 को सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके लिए क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक का धन्यवाद।
- नाबार्ड ने FIF के तहत रु 13.39 करोड़ की सहायता राशि विभिन्न बैंकों हेतु स्वीकृत की है। बैंकों से अनुरोध अहि कि FIF से स्वीकृत सहायता राशि का पूर्ण उपयोग कर लोगों को लाभ पहुंचाएँ।
- नाबार्ड ने 8 मंडियों के डिजिटलीकारण का कार्य शुरू किया है। आशा है कि राज्य सरकार के सहयोग से नाबार्ड राज्य की सभी मंडियों का डिजिटलीकरण कर पाने में सफल होगा।
- राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन किया गया जिसके लिए सभी हितग्राहकों को बधाई।
- बैंकों से अधिक से अधिक FPOs को वित्तपोषित करने का अनुरोध है।
- FPOs को बढ़ावा देने के क्रम में भारत सरकार के आदेश पर 'तरंग- Celebrating Collectivization' का आयोजन 23-25 फरवरी, 2024 तक किया जा रहा है, जिसमे विभिन्न FPOs द्वारा सहभागिता की जाएगी।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- नाबार्ड द्वारा SHG और JLG पर ध्यान केन्द्रित करेते हुए विभिन्न सावधि ऋण योजनाओं जैसे PF FME, AIF, Agri Business and Agri Clinics, AMI योजना इत्यादि के माध्यम से राज्य में निवेश ऋण को बढ़ावा देने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
- राज्य में PACS के computerization में नाबार्ड द्वारा सरहनीय कार्य किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, राजस्थान ने सदन को राज्य में घटित होने वाले साइबर अपराधों के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण दिया:

1. गृह विभाग, भारत सरकार के तहत Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर cyber crime का डाटा संकलित किया जाता है, जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में साइबर आराध के 16,991 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो राष्ट्र में सबसे अधिक हैं।
2. प्रदेश में साइबर अपराधों के तहत वापस आई राशि, धोखाधड़ी की कुल राशि के सापेक्ष बहुत कम है।
3. प्रदेश में बढते साईबर अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय, राजस्थान की ओर से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन साइबर व्रज प्रहार 1.0 प्रारम्भ किया गया है। जिसके तहत सभी जिला पुलिस से समन्वय स्थापित कर केन्द्र (I4C) से मिले डेटा का विशलेषण कर राज्य स्तर पर दबिश की कार्रवाई शुरू की गई है।
4. प्रदेश की पुलिस द्वारा साइबर अपराध की शिकायतों में FIR दर्ज करके अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
5. राजस्थान में मेवात क्षेत्र साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट है, जिसमे भरतपुर, दीग और अलवर ज़िले आते हैं।
6. हॉटस्पॉट क्षेत्रों ATM की CCTV footage बैंकों द्वारा अधिक समय के लिए सुरक्शित राखी जानी चाहिए। दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से अधिक नकद निकासी पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में KYC दस्तावेज़ों के सत्यापन हेतु स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया जाना चाहिए एवं समय-समय पर randomly खातों के KYC का पुनः-सत्यापन किया जाना चाहिए।
7. राजस्थान में लगभग 20,000 Mule accounts हैं जिन्हे I4C द्वारा चिन्हित किया गया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इन mule accounts की KYC संबंधी सूचना और 65B certificate पुलिस महानिदेशक कार्यालय, (साइबर अपराध), राजस्थान को प्रदान करावें। साइबर वज्र प्रहार 2.0 के तहत पुलिस द्वारा Mule accounts के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बैंकों से अनुरोध है कि Mule accounts के संदर्भ में बैंक स्टाफ को संवेदित किया जाए/ मिलीभगत करने वाले स्टाफ के विरुद्ध बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।
8. पुलिस विभाग द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में बैंकों से मांगी गयी सूचना निर्धारित प्रारूप में और समय से प्रदान करें।
9. पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रकरणों के संबंध में समय पर बैंक खाता को फ्रीज़ करने, रुपये होल्ड करने इत्यादि कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जाता है परंतु बैंक अधिकारियों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की जाती है जिससे प्रकरणों के अनुसंधान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः कार्यवाही समय पर हो।
10. इंटरनेट पर बैंकों के फेक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है जिंका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। बैंकों से इसकी जांच कर कार्यवाही करने और ऐसे नंबर की सूचना साइबर क्राइम विभाग, राजस्थान पुलिस को देने का अनुरोध है।
11. बैंक अपने ग्राहकों की डाटा प्राइवसी बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ। इस हेतु third party ऑडिट भी करवाया जा सकता है।
12. हॉटस्पॉट क्षेत्र में ATM और AEPS जारी करने से पूर्व भी due-diligence का पालन करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 159th SLBC Meeting (28.11.2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 28.11.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 07.12.2023 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार है-

Parameters	Dec, 2020	Dec, 2021	Dec, 2022	Mar, 2023	Dec, 2023*

No. of Branches (new Br in Yr.)	8,173 (69)	8,228 (77)	8,510 (253)	8,580 (335)	8,786 (254)
***Around 67.56% branches in Rural & Semi Urban.**					
Amt. in Rs. Crore					
Deposits **(% Y-o-Y Growth)**	4,75,448 (11.80%)	5,26,040 (10.64%)	5,87,871 (11.75%)	6,17,975 (12.95%)	6,60,724 (12.39%)
Advances **(% Y-o-Y Growth)**	3,92,293 (11.39%	4,38,729 (11.84%)	5,20,329 (18.60%)	5,47,021 (17.26%)	6,29,370 (20.96%)
CD Ratio	84.39%	84.86%	88.51%	88.52%	95.25%
PS Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	2,50,450 (11.22%) (63.84%)	2,84,757 (13.70%) (64.91%)	3,16,957 (11.31%) (60.91%)	3,32,679 (10.60%) (60.82%)	3,78,126 (19.33%) (60.08%)
Agri. Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	1,17,690 (10.25%) (30.00%)	1,30,166 (10.60%) (29.67%)	1,41,942 (9.05%) (27.28%)	1,50,456 (9.74%) (27.50%)	1,63,668 (15.31%) (26.01%)
MSME Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	92,481 (15.47%) (23.57%)	1,13,347 (22.56%) (25.84%)	1,35,837 (19.84%) (26.11%)	1,40,864 (16.47%) (25.75%)	1,67,610 (23.39%) (26.63%)

Achievement against stipulated benchmark on December – 2023

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **6.74%** की वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 61,169 करोड़** की बढ़ौतरी हुयी है।
- कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 21,726 करोड़** की बढ़ौतरी हुयी है।
- माइक्रो खातों में **1.66%** की की बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 20,669 करोड़** की बढ़ौतरी हुई है। (नेट बढ़ौतरी)
- बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, कृषि, कमजोर वर्ग अग्रिम और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से प्रतिशत के संदर्भ में गिरावट देखी जा रही है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
14	>100%	Baran, Barmer, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Nagaur, Pratapgarh, Sikar, Sri Ganganagar and Tonk
13	71-100%	Alwar, Banswara, Bharatpur, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Pali, Sawai Madhopur and Udaipur
5	51-70%	Ajmer, Dholpur, Dungarpur, Karauli and Rajsamand
1	<50%	Sirohi

Districts having CD ratio lower than all India level (as on December, 23)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 12 जिलों यथा कोटा (76.75%), पाली (76.94%), भरतपुर (75.88%), बांसवाड़ा (77.29%), झुंझुनू (74.97%), उदयपुर (68.47%), अजमेर (69.50%), राजसमंद (68.54%), करौली (68.72%), धौलपुर (68.90%), डूंगरपुर (58.30%) एवं सिरोही (48.97%) का सीडी

अनुपात, राष्ट्रीय औसत (79.49%) से कम है। सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कोटा, पाली, भरतपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर एवं सिरोही)

Annual Credit Plan 2023-24

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2023-24 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 2,79,855 करोड़** के सापेक्ष दिसम्बर, 2023 तिमाही तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- कृषि- 73.14%
- MSME- 120.40%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 27.64%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 85.89%

Banks having performance below 70% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 23-24 (upto December 2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक **70% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (25.52%), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (53.15%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (31.42%), भारतीय स्टेट बैंक (52.73%), बैंक ऑफ इंडिया (45.60%), आईडीबीआई बैंक (61.37%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (62.76%) एवं यस बैंक (64.82%) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यस बैंक)

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 31.12.2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 31.12.2023 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **33.88%, 7.21%, 8.06% एवं 99.73%** हैं।

दिनांक 31.12.2023 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(29.04%)** से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.29%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.51%), यूको बैंक (7.71%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.51%), भारतीय स्टेट बैंक (10.55%), केनरा बैंक (10.43%), बीआरकेजीबी (9.50%), पंजाब और सिंध बैंक (12.15%), इंडियन बैंक (14.20%), बैंक ऑफ बड़ौदा (22.52%), पंजाब नेशनल बैंक (14.39%)। उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु प्रयास करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक)

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 13.02.2024

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **108 (95+13)** स्थानों में से **32 (30+2)** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 13.02.2024 तक **70 (63+7)** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं एवं **06** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है-

BANK WISE STATUS OF ALLOCATION OF IDENTIFIED LOCATIONS FOR BRICK & MORTAR BRANHCES

Sr. no.	District	Sub District	Village Code	Village Name	Population	Allotment to Banks (05.09.2022 & 18.04.2023)
1	Barmer	Chohtan	88879	Beejasar	4797	Punjab National Bank
2	Jaisalmer	Pokaran	86330	Madwa	3423	State Bank of India
3	Jodhpur	Bawari	084615	Tapoo	4128	Bank of Maharashtra
4	Jodhpur	Osian	084511	Ompura	4173	IDFC FIRST Bank
5	Jodhpur	Osian	084494	Pali-Ii	3297	IDFC FIRST Bank
6	Jodhpur	Tinwari	084709	Beenj Wariya	4306	IDFC FIRST Bank

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबन्धित बैंकों से 29.02.2024 तक शेष आवंटित केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टार शाखा खोलने का अनुरोध किया। उन्होने सूचित किया कि संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने मुख्य सचिव, राजस्थान को संबोधित पत्र दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से राज्य में शेष केन्द्रों पर जल्द से जल्द ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएँ खुलवाने के संबंध में निर्देशित किया है। अतः इस निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)

प्रतिनिधि, **पंजाब नेशनल बैंक** ने 15 दिनों में शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ने 15 मार्च**,** 2024 तक शेष केंद्र पर ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **आईडीएफ़सी बैंक** ने ओमपुरा और बींज वारिया में 31.03.2024 तक शाखा खोलने का आश्वासन दिया और सूचित किया कि पाली-ली में पहले से आईसीआईसीआई बैंक की शाखा कार्यरत है।

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** ने 15 दिनों में शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान को संबोधित पत्र के माध्यम से उनके संसदीय क्षेत्र जोधपुर की ग्राम पंचायत भणियाना, पंचायत समिति भणियाना और ग्राम पंचायत सांकड़ा, पंचायत समिति सांकड़ा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने हेतु अनुरोध किया है, और अवगत कराया है कि दोनों ग्राम पंचायतें तेज़ी से विकसित होते हुए क्षेत्र हैं, जहां पर किसान वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की बहुतायत है, जिन्हे अपने बैंक संबंधी कार्यों के लिए पोकरण जाना पड़ता है।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया है कि उक्त VIP Reference संबन्धित बैंक को अग्रेषित किए गए हैं**,** जिनसे प्राप्त प्रत्युत्तर की सूचना एसएलबीसी द्वारा DFS, MoF, GoI को पत्र के माध्यम से October 2023 में प्रेषित कर दी गयी है।

साथ ही सूचित किया वित्त राज्य मंत्री द्वारा संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को अपने कार्यालय में बुलाया गया**,** जिसके दौरान उन्होने निर्देशित किया कि माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रेषित सभी केन्द्रों पर संबन्धित बैंकों के द्वारा जल्द से जल्द शाखाएँ खोली जाने हेतु आवश्यक अनुवर्तन कि कार्यवाही करें एवं इस हेतु वित्त राज्य मंत्री के कार्यालय से संबन्धित बैंकों के उच्चतम प्रबंधन से समन्वय किया जायेगा।

Uncovered villages within 5KM radius

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने ई-मेल दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से 5 किमी के दायरे तक बैंकिंग आउटलेट से वंचित 9 ग्रामों की सूची दी है, जिनको राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा ई-मेल दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से सदस्य बैंकों को आवंटित कर दिया गया है। इन केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट खोले जाने की 13.02.2024 तक की स्थिति निम्नानुसार है-

Status of Uncovered Villages within 5 KM radius as on 13.02.2024				
Sr. No.	Name of Bank	Total No. of Uncovered Villages	Total Villages Covered	Remaining Uncovered Villages

1	Bank of Baroda	4	3	1
2	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	1	1	0
3	Punjab National Bank	1	0	1
4	Rajasthan Marudhara Gramin Bank	2	0	2
5	State Bank of India	1	0	1
	Grand Total	**9**	**4**	**5**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया कि आवंटित केन्द्रों पर जल्द-से-जल्द बैंकिंग आउटलेट खोलें एवं उन्हे JDD App पर अद्यतित करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक)

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जन सुरक्षा योजनाओं के संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 07.02.2024 तक की प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme						
as on Date	**PMJJBY**		**PMSBY**		**APY**	
	Target	**Enrolled**	**Target**	**Enrolled**	**Target**	**Enrolled**
08.11.2023	69,15,500	32,45,700 (47%)	96,73,911	71,31,685 (74%)	56,33,175	10,30,645 (18%)
07.02.2024	69,15,500	34,72,428 (50%)	96,73,911	76,73,002 (79%)	56,33,175	10,92,192 (19%)
Progress		**2,26,728**		**5,41,317**		**61,547**

सभी बैंकों से अनुरोध है कि वह वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से सूचित किए गए, संतृप्ति अभियान के संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप, जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के तहत **सितंबर 2024** तक **100%** लक्ष्य उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Atal Pension Yojna FY 2023-24:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में कुल **6,75,280** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31.12.2023 तक 4,76,450 **(71%)** नामांकन किए गए हैं।

अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-

सार्वजनिक बैंक- 82%
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 76%
स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 64%
एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 3%
अन्य निजी बैंक- 64%
सहकारी बैंक- 12%

स्माल फ़ाइनेंस बैंकों एवं निजी बैंकों से, विशेषकर **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** से अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यबाही: समस्त निजी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, सदन के अनुमोदन से राज्य के सभी जिलों में **बचत** एवं **चालू खातों** का 100% डिजिटलीकरण **मार्च 2024** तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में औसतन **94.16%** बचत खातों में डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
- राज्य में औसतन **85.66%** चालू खातों में डिजिटलीकरण किया गया है।
- सभी बैंकों और अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि अप्रेल 2024 तक राज्य का 100% डिजिटलीकारण सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि गैर-digitized बचत और चालू खातों की शाखा वार व खाते वार सूची अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त करें एवं यह सूची अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और बैंक शाखाओं को प्रेषित कर, उन्हे निर्देशित करें कि संबन्धित खाताधारकों से संपर्क करें एवं उनके बैंक खाते में कम से कम 1 डिजिटल उत्पाद प्रदान करना सुनिश्चित करें। इसकी निगरानी अपने स्तर से भी करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Organizing DBU Awareness Campaigns</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि:

- उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईबीए द्वारा पत्र क्रमांक IBA/PSBTL/L/2023/0654 दिनांक 19.12.2023 ने सभी बैंकों के देश प्रमुखों को संबोधित करते हुए सूचित किया है कि आरबीआई ने डीबीयू के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अभियान आयोजित करने का सुझाव दिया है।

- तदनुसार, बैंकों के एक उपसमूह ने जागरूकता अभियान के लिए विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार निर्धारित किया-
  - डीबीयू स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना।
  - हर महीने, प्रत्येक डीबीयू स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए एक दिन को डिजिटल बैंकिंग साक्षरता दिवस के रूप में मनाएगा। डीबीयू ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए डीबीयू में मनोरंजक गतिविधियों और क्विज़ का आयोजन करेगा।
  - प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर और स्टैंडी प्रदर्शित किए जाएंगे।
  - संतुष्ट ग्राहकों को डीबीयू की सेवाओं के बारे में सकारात्मक अनुभव और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
  - स्थानीय/पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना।
  - संबंधित जिले में स्थापित डीबीयू के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग पहल को बढ़ावा देने के लिए जिले के अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला अधिकारियों के साथ समन्वय करे।
  - एफएलसी अपने कार्यक्रमों में डीबीयू की अवधारणा को शामिल करे।
  - जागरूकता अभियानों के लिए स्कूलों/कॉलेजों को शामिल करना। प्रत्येक डीबीयू हर महीने अपने आसपास के स्कूल/कॉलेज में नियमित कार्यक्रम आयोजित करेगा। जागरूकता पैदा करने के लिए क्विज़, ड्राइंग प्रतियोगिता आदि।
  - डीबीयू में उद्देश्य और सुविधाओं को संप्रेषित करने के लिए नुक्कड़ नाटक को एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पहल के लिए एफएलसी की मदद ली जा सकती है।
  - आवासीय अपार्टमेंट/सोसाइटियों/एसोसिएशनों में ग्राहक जागरूकता अभियान चलाना, ग्राहकों को उनके आसपास के क्षेत्र में डीबीयू से उपलब्ध बैंकिंग डिजिटल सेवाओं का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करना।
  - स्थानीय बाजार में डिजिटल जागरूकता बैठकें आयोजित करना।
  - लक्षित दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए बैंक वेबसाइटों, सोशल मीडिया, ई-मेल न्यूज़लेटर्स, ब्लॉग पोस्ट, रेडियो विज्ञापन, वेबिनार आदि के माध्यम से डिजिटल अभियान चलाएं।
  - डीबीयू के बारे में रुचि और जागरूकता पैदा करने में मदद के लिए लोकप्रिय ब्रांडों या प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदारी करना।

- संबंधित बैंकों द्वारा एक केंद्रीकृत स्थान पर डीबीयू कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करना। डीबीयू के केआरए के साथ तालमेल बिठाने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- हमारे राज्य में बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, करौली और ब्यावर में कुल 5 डीबीयू कार्यरत हैं।
- एसएलबीसी राजस्थान ने पत्र दिनांक 20.12.23 के माध्यम से राज्य में डीबीयू संचालित करने वाले सभी बैंकों और संबंधित एलडीएम से अनुरोध किया है कि वे उपरोक्त निर्देशों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित डीबीयू को जागरूक करें और अपने स्तर से इसका समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक एवं एक्सिस बैंक तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, करौली एवं बियावर)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- डीबीयू के बाहर साइन बोर्ड में यह परिलक्षित नहीं होता कि यह किस प्रकार अन्य ब्रिक-और-मोर्टार शाखाओं से भिन्न हैं और इनमे किस प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि डीबीयू द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में विस्तार करें एवं ऋण के लिए आवेदन करना, इत्यादि जैसी अधिक से अधिक सेवाएँ उपलब्ध कराएं।
- संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि अग्रणी ज़िला प्रबन्धक से समन्वय कर, वित्तीय साक्षारता एवं ग्राहक जागरुकता शिविरों में डीबीयू के संबंध में जागरूकता बढ़ाएँ।
- डीबीयू में बैंक ग्राहक द्वारा किए गए लेन-देन पर non-home शाखा का शुल्क लगाया जाने, इत्यादि प्रकरणों का निस्तारण करें। डीबीयू बैंकिंग का भविष्य है।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक एवं एक्सिस बैंक तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, करौली एवं बियावर)

Support required from State Governement

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों का निस्तारण करने एवं की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

Amendment in PDR Act, 1952

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से**,** PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

RACO RODA & SARFAESI Act

- प्रकरण बकाया दिनांक 31.12.2023 तक
  - ✓ RACO RODA - 1,35,705 Cases Amt. Rs. 3,037 Cr
  - ✓ SARFAESI Act - 1,252 Cases Amt. Rs. 382 Cr.

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से उक्त मुद्दे पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017)

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने संबन्धित विभाग से नयी राज्य सरकार गठित होने के दृष्टिगत पुनः उक्त मुद्दे को सरकार के समक्ष विचारार्थ हेतु रखने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

Issuance of various Circulars by RIICO having adverse ramfications on Banks' interest

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को RIICO के Office Order 20/2023 दिनांक 29.09.2023 और Office Order दिनांक 26.05.2023 के बैंकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में सदन को अवगत कराया। उन्होने सूचित किया कि एसएलबीसी ने पत्र क्रमांक JZ:SLBC:2023-24:1210 दिनांक 30.11.2023 और JZ:SLBC:2023-24:1599 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से RIICO कार्यालय से उपरोक्त कार्यालय आदेशों की शर्तों पर फिर से विचार करने और बैंकों की चिंता का समाधान करने का अनुरोध किया है जिससे बैंकों के साथ-साथ राज्य में उद्योगों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होने संबन्धित विभाग से उंक मुद्दे में कार्यवाही कर, की गयी कार्यवाही से एसएलबीसी को अवगत कराने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: RIICO एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

Brief Details and Modus Operandi of Fake KCC Incident in Satyaya Branch of RMGB

अध्यक्ष, **राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक** ने उनके बैंक की सत्याय शाखा (ज़िला जैसलमेर) में दिये FAKE केसीसी के प्रकरण के संबंध में सदन को अवगत कराया।

- उस क्षेत्र में कर्जदारों, एजेंटों और कुछ अधिकारियों की सांठगांठ से यह प्रकरण हुआ।
- केसीसी का लाभ उठाते समय, उधारकर्ताओं ने भूमि संबंधी दस्तावेज और केवाईसी दस्तावेज जमा किए। हालांकि, जमीन संबंधी दस्तावेज फर्जी मुहरों और तहसील अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों और जाली मोहरों का उपयोग करके बनाए गए थे।
- पैनल वकीलों ने इन मामलों में सर्च रिपोर्ट और non-encumberance certificate प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील (पैनल में शामिल दो वकील) भी सांठगांठ में शामिल थे।
- ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उस क्षेत्र में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है।
- जांच टीम ने जब तहसील कार्यालय का दौरा किया तो पाया कि ज्यादातर मामलों में कृषि भूमि के दस्तावेजों पर लिखे खसरा नंबर गलत थे या उपलब्ध ही नहीं थे। कुछ मामलों में, भूमि सरकार की थी और कुछ मामलों में भूमि उधारकर्ताओं के अलावा अन्य लोगों की थी।]
- दोषी बैंक स्टाफ और तहसील स्टाफ को बर्खास्त कर दिया गया है।
- बैंक ने नाचना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई बाद में मामला साइबर सेल, जैसलमेर को स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है।
- उक्त मामले के दृष्टिगत राज्य सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए राजस्थान की शेष तहसीलों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण जल्द से जल्द किया जाए।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

उप-महाप्रबंधक, **भारतीय रिजर्व बैंक** की टिप्पणी-

- राज्य सरकार से अनुरोध है कि पूरे राज्य के लैंड रेकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण एवं कृषि ऋण रहन पोर्टल के सुचारु रूप से कार्य करने से भारतीय रिजर्व बैंक के Public Tech Platform for Frictionless Credit के माध्यम से डिजिटल केसीसी समेत अन्य ऋण सुगमता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य में Model Land Leasing Act लागू करें जिससे भूमि-हीन किसानों को बैंकों से ऋण लेने में समस्या न हो।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

Formation of new districts in the State of Rajasthan- Setup of RSETIs and FLCs

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को सूचित किया कि जोधपुर ग्रामीण, जयपुर शहर एवं जयपुर ग्रामीण के अतिरिक्त नव-गठित जिलों में आर-सेटी स्थापना करने हेतु संबन्धित लीड बैंकों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हो

गए है व सदन से अनुमोदित करने हेतु अनुरोध किया गया है। जोधपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी एवं जयपुर ग्रामीण में पहले से ही आर-सेटी कार्यरत हैं।

संबंधित बैंकों से अनुरोध है कि अपने लीड जिलों में प्राथमिकता के आधार पर आर-सेटी और **FLC** का गठन करवाना सुनिश्चित करें।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- सभी आरसेटी संयोजक बैंक उनके द्वारा प्रायोजित सभी आरसेटी के कामकाज/बुनियादी ढांचे की समीक्षा समग्र आधार पर नियमित रूप से करें।
- साथ ही सभी डीसीसी संयोजक बैंकों को अपने अग्रणी जिला कार्यालय में पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर / प्रशिक्षित स्टाफ / कम्प्युटर / आईटी उपकरण / नियमित ट्रेनिंग उपलब्ध/प्रदान करवाई जानी चाहिए।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, **बैंक ऑफ बड़ौदा**, **पंजाब नेशनल बैंक**, **यूको बैंक**, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक)**

Reduction in the frequency of DLRC meetings held in each district

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि जन-प्रतिनिधियों द्वारा समय अभाव के कारण DLRC बैठकों में पर्याप्त सहभागिता नहीं करने के कारण DLRC बैठक का प्रायोजन विफल होता है, जिसके दृष्टिगत सदन से अनुरोध है कि DLRC बैठकों की आवृत्ती त्रैमासिक से कम कर के वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करें।

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने कहा कि डीएलआरसी बैठकों की आवृत्ती घटाने से ज़िले में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की योग्य समीक्षा एवं जन-प्रतिनिधि के स्तर से निस्तारण योग्य प्रकरणों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अतः भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि DLRC बैठकों में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, इन बैठकों की क्या महत्ता है एवं इन मे जन-प्रतिनिधि की भागीदारी क्यों आवश्यक है इत्यादि के संबंध में पत्र आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को भिजवाएँ जिसके आधार पर विभाग द्वारा ज़िला कलक्टरों को संवेदित किया जा सके और जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- ज़िला स्तर पर ऐसी बैठकें होती हैं जिनमे जन-प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की जाती है। DLRC बैठकें इन बैठकों के साथ समयोजित की जाएँ ताकि जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी अधिक हो।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- गत तिमाही में आयोजित 33 DLRC बैठकों में से मात्र 10 बैठकों में जन-प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता की गयी। इनमे से 5-6 बैठकों में सरपंच या उनसे अधीनस्त अधिकारी द्वारा सहभागिता की गयी एवं 1-2 बैठकों में ही सांसद/ विधायक द्वारा सहभागिता की गयी। डीएलसीसी में चर्चा योग्य सभी विषयों पर डीसीसी बैठक में चर्चा होती है।
- इस तिमाही डीएलआरसी बैठकों में जन-प्रतिनिधि की भागीदारी का अवलोकन करेंगे और अगली एसएलबीसी की मुख्य बैठक में DLRC बैठकों की आवृत्ती त्रैमासिक से कम कर के वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक करने के प्रस्ताव को पुनः अनुमोदनार्थ सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुरोध किया कि मई-जून में मुख्य सचिव, राजस्थान जब ज़िला कलक्टरों के साथ बैठक/ सम्मेलन करें, उसमे भारतीय रिजर्व बैंक को DLRC बैठक, लीड बैंक स्कीम और एसएलबीसी की महत्ता के संबंध में ज़िला कलक्टरों को संवेदित करने हेतु एक session प्रदान करें।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

Property cards issued under Svamitva Scheme

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- SVAMITVA योजना बसे हुए ग्रामीण इलाकों में घर रखने वाले गांव के घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करेगी, बदले में, उन्हें बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साधन के रूप में प्रोपर्टी कार्ड जारी किया जावेगा जो संपार्श्विक के रूप में काम करेगा।
- राजस्थान राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वामित्व योजना में निर्दिष्ट प्रॉपर्टी कार्ड।
- पट्टे पर "डिफॉल्ट के मामले में संपत्ति की बिक्री नहीं करने" की शर्त है जो बैंकों को SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए प्रतिबंधित करती है।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा एसएलबीसी से राज्य में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की सूचना मांगी गयी है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त योजना का जल्द से जल्द राज्य में क्रियान्वयन करावें।

(कार्यवाही: पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को बताया की राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, 1953 के तहत वर्तमान में जिस प्रारूप में पट्टे जारी किए जा रहे हैं, उनके एवज में बैंकों द्वारा ऋण दिया जा सकता है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अलग से स्वामित्व प्रोपर्टी कार्ड जारी नहीं किये जा रहे है।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि स्वामित्व योजना का राज्य में क्रियान्वयन कराने हेतु उच्चतम स्तर पर कार्यवाही करावें।

(कार्यवाही: पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – रबी 2023-24</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21-07-2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2023 व रबी 2023-24 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है।
- अतिरिक्त आयुक्त (क्रेडिट), पीएमएफबीवाई, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 13012/06/2021-Part(4) दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से रबी 2023-24 मौसम हेतु चालान जनरेशन व Entry of Left out data of farmers against already remitted farmer share of premium on NCIP के लिए दिनांक 16.02.2024 से 23.02.2024 तक NCPI पोर्टल को पुनः खोला गया है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि शाखाओं को अतिरिक्त समय का उपयोग करते हुए चालान एवं बीमा पॉलिसी सृजन से सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>PM JANMAN</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि:

- PM JANMAN योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में बारां ज़िले को चयनित किया गया है जिसके तहत Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), जो अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, को PMJDY एवं किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जाना है।
- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बारां ने ज़िले के 8 खंडों में स्थित 6 बैंकों की 58 शाखाओं को विभिन्न बैंकों को निम्नानुसार map किया है-

Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nayaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)						
Sr. no.	Bank Name	Count of Gram Panchayat	Total population	PVTG Population	Total number of Households (HH)	Count of Number of PVTG HHs
1	BOB	12	12037	1314	2414	327
2	BRKGB	171	198402	63786	46723	15794
3	CBI	81	111611	25511	22708	6312
4	PNB	8	36546	1299	7233	1072

5	SBI	123	196576	37390	38528	10001
6	UBI	4	2634	768	786	237
	Grand Total	**399**	**557806**	**130068**	**118392**	**33743**

संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि mapped PVTG households को PM JANMAN के तहत संतृप्त करें।
(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

PM Vishwakarma

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों (लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए) के विकास को बढ़ावा देना/सहायता करना है, जिन्हें 'विश्वकर्मा' कहा जाता है और जो अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। प्रारंभ में इस योजना में 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।
- ऋण सहायता की कुल मात्रा रु. 3,00,000/- जिसमें, लाभार्थी 18 महीने के लिए 100000/- रुपये तक की पहली किश्त और 30 महीने के लिए 2,00,000/- रुपये तक की दूसरी किश्त प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी बैंक शाखाएं लाभार्थी के खाते के विवरण के सत्यापन के लिए उदयमित्र पोर्टल के अपने मौजूदा उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग करके ऋण देने वाले संस्थान अनुभाग के तहत पीएम विश्वकर्मा पोर्टल (https://pmvishvakarma.gov.in) पर लॉग इन कर सकती हैं।
- राज्य में उक्त योजना के तहत दिनांक 14.02.2024 तक कुल 25,565 जमा खातों मे से 10,562 खाते स्वीकृत, 1,635 खाते निरस्त कर दिये गए हैं तथा 1,815 खाते 7 दिनों से कम समय से लंबित हैं व 11,553 खाते 7 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, अतः कुल **13,368** जमा खाते पुष्टीकरण के लिए विभिन्न बैंकों के पास लंबित हैं।
- सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वे SOP के अनुसार पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी के बैंक खाता संख्या और आईएफएससी को सत्यापित करें। साथ ही प्राप्त होने वाले ऋण आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में दिनांक 12.02.2024 तक **3,12,240** के संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष **2,01,380** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **1,78,685** आवेदनों में **रु. 213.23 करोड़** वितरित किए गए हैं। **22,695** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है। सभी बैंकों से जल्द से जल्द उक्त योजनान्तर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 12.02.2024						Low Performing Banks as on 12.02.2024					
Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.03.2024	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Lacs)	%age ach.	Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.03.2024	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.
1	State Bank of India	54332	84003	10330.81	154.61	1	IndusInd Bank	6663	0	0.00	0.00
2	Bank of Baroda	28628	39893	4553.80	139.35	2	Bandhan Bank Ltd.	12856	1	0.10	0.00
3	Bank of Maharashtra	2018	2094	238.00	103.79	3	Yes Bank Ltd.	5721	1	0.10	0.01
4	Bank of India	6933	7163	844.39	103.31	4	Axis Bank	10432	10	1.00	0.02
5	Indian Overseas Bank	3702	2643	311.30	71.39	5	Kotak Mahindra Bank	3837	7	0.70	0.10
6	Indian Bank	7337	5228	616.23	71.26	6	AU Small Finance bank	11577	150	15.60	0.18
7	Central Bank of India	8683	5334	622.30	61.43	7	ICICI Bank	20798	316	33.24	1.30
8	Union Bank of India	14808	6857	807.54	46.31	8	HDFC Bank	12655	328	33.60	1.52

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य **1,36,705** के सापेक्ष दिनांक 14.02.2024 तक **90,680 खातों (66.33%)** में **रु 1,729.66 करोड़ (67.83%)** का ऋण वितरण किया गया है। सभी बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि पहली डोज़ में न्यूनतम रु 1.5 लाख एवं दूसरी दीज़ में न्यूनतम रु 3.0 लाख वितरित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 14.02.2024					Low Performing Major Banks as on 14.02.2024				
S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target
1	UCO BANK	1030	1423	138.16	1	PUNJAB AND SIND BANK	0	0	0.00
2	INDIAN BANK	2200	2965	134.77	2	RSCB	3300	231	7.00
3	BANK OF INDIA	2500	2558	102.32	3	UNION BANK OF INDIA	2000	551	27.55
4	CANARA BANK	1050	978	93.14	4	INDIAN OVERSEAS BANK	30	12	40.00
5	HDFC BANK	12470	10303	82.62	5	CENTRAL BANK OF INDIA	1530	668	43.66

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2023-24

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राज्य में प्रगति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Sr.	Name of Scheme	Targets (No.)	No. of appl. Spon.	No. of appl. Sanc.	No. of appl. Disb.	No. of appl. pending	% Ach
1	Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (as on 30.01.24)	114.55 Cr (MM)	6164 No. 387.65 (MM)	2699 No. 192.67 Cr (MM)	1214 No. 91.27 Cr (MM)	1927 No. 117.49 Cr (MM)	166.90
2	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (as on 31.01.24)	3540.47 Cr	986.58 Cr	511.95 Cr	191.37 Cr	202.44 Cr	14.46
3	PM Formalization of Micro food processing Enterprises (PMFME) (as on 03.02.24)	2946	443	166	126	143	5.63
4	National Urban Livelihood Mission (NULM) – Individuals & Group (as on 31.12.23)	2500	3143	1683	1624	1519	67.32
5	National Urban Livelihood Mission (NULM) – SHG (as on 14.12.23)	1500	1465	618	590	875	41.2
6	Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojna (IGSCCY) (as on 30.01.24)	500000	480148	245069	245069	161894	49.01
7	Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY) (as on 31.12.23)	10780	14203	6217	5266	6651	57.67

8	Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) (as on 31.12.23)	1500	3627	749	617	2421	49.93
9	Mukhya Mantri Yuwa Udyam Prothsahan Yojana (MYUPY) (as on 31.12.23)	5000	621	125	113	485	2.5
10	Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna (IMSUPY) (as on 31.12.23)	1500	4766	973	697	3709	64.87

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 30.01.2024 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bank-wise PMEGP progress as on 30.01.2024														(Amt. Rs. In Cr.)			
Sr. No.	Targets for F.Y. 23-24		Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank				Margin Money Claimed				MM Disbursed			
	No of Prj.	MM Amt	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach		No of Prj.	MM Involve	% Ach		No of Prj.	MM Involve	% Ach	
							Proj.	MM			Proj.	MM			Proj.	MM
A	3855	114.55	6164	387.65	2699	220.71	70.01	192.67	2315	182.80	60.02	159.57	1214	9127	31.49	79.67

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 30.01.2024								Lowest Performing Banks under as on 30.01.2024							
Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)		MM Claim (Rs. In Crs)		% Ach. Under MM Claim		Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)		MM Claim (Rs. In Crs)		% Ach. Under MM Claim	
		No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve			No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve
1	BANK OF BARODA	427	13.11	561	57.32	131.38	437.15	1	AU SMALL FIN BANK	43	1.28	0	0.00	0.00	0.00
2	UCO BANK	182	5.13	212	15.00	116.48	292.70	2	AXIS BANK	63	1.76	0	0.00	0.00	0.00
3	CANARA BANK	188	5.74	186	15.81	98.94	275.48	3	HDFC BANK	161	4.68	12	1.65	7.45	35.23
4	CENTRAL BANK OF INDIA	151	4.85	105	10.20	69.54	210.12	4	ICICI BANK	183	5.25	23	3.25	12.57	61.81
5	IDBI BANK	62	1.76	39	3.33	62.90	188.64	5	BANK OF MAHARASHTRA	63	1.91	8	1.24	12.70	65.05
6	PUNJAB NATIONAL BANK	391	11.49	364	21.40	93.09	186.19	6	STATE BANK OF INDIA	693	20.28	199	13.31	28.72	65.63

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

PMFME Scheme

दिनांक 03.02.2024 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bank Wise Progress under PM FME for FY 2023-24 as on 03.02.2024 (Amt. in Cr.)													
S. N.	Bank	Individual Unit Target	Application Received		Application Sanctioned		Application Disbursed		Application Rejected		Pending Applications		%age Achievement
		A/c	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANK	1838	287	66.41	119	20.03	87	12.51	104	25.03	64	21.34	6.47
B	PRIVATE SECTOR BANK	570	94	28.49	28	4.93	22	3.95	5	1.21	61	22.35	4.91
C	RRB BANK	399	44	7.79	9	1.48	8	1.34	19	2.72	16	3.59	2.26
D	CO-OPERATIVE BANK	50	9	0.12	9	0.12	9	0.12	0	0.00	0	0.00	18.00
E	SMALL FINANCE BANK	89	9	2.37	1	0.15	0	0.00	6	1.47	2	0.75	1.12
	GRAND TOTAL	**2946**	**443**	**105.18**	**166**	**26.71**	**126**	**17.92**	**134**	**30.44**	**143**	**48.03**	**5.63**

बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 31.01.2024 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 31.01.2024													
	Bank	Target F. Y. 2023-24	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned, pending for Disb.		Out of Sanctioned, App. Disb. By Bank		Application Pending with Bank		% age Ach (sanction)
		Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
	PUBLIC SECTOR BANKS	2054.19	772	591.49	467	356.03	195	221.35	272	134.68	183	175.20	17.33
	PRIVATE SECTOR BANKS	686.37	340	335.48	158	125.99	88	77.08	70	48.92	77	86.72	18.36
	REGIONAL RURAL BANK	545.47	31	25.64	26	20.34	13	15.78	13	4.56	2	0.88	3.73
	CO-OP SECTOR BANKS	182.02	6	2.02	8	4.15	0	0.00	0	0.00	3	0.98	0.00
	SMALL FINANCE BANK	72.42	17	29.75	7	9.51	4	6.37	3	3.14	4	8.41	13.14
	RAJASTHAN TOTAL	**3540.47**	**1170**	**986.58**	**660**	**511.95**	**300**	**320.57**	**360**	**191.37**	**269**	**272.19**	**14.46**

बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 09.02.2024 तक **रु 19,359.45 करोड़** के लक्ष्य के सापेक्ष **14,01,790** खातों में **रु 15,801.72 करोड़ (81.62%)** का ऋण वितरण किया गया।

उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt.
1	Shishu	7,88,280 (56%)	2,828.16
2	Kishore	5,50,854 (39%)	7,512.92
3	Tarun	62,656 (5%)	5,460.64
	Total	**14,01,790 (100%)**	**15,801.72**

सभी बैंकों से योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Stand Up India Scheme (SUI)

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 03.02.2024 तक राज्य में **11,202** आवेदनों में राशि **रु. 2,495.86 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए एवं **5,381** खातों में **रु 1,018.84 करोड़** का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 03.02.2024 तक **रु. 485.35 करोड़** के **2,094** आवेदन स्वीकृत किए गए एवं **394** खातों में **रु 91.37 करोड़** का ऋण वितरण किया गया।

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तिमाही तक राज्य में **13,263** छात्रों को राशि **रू 532.69 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 31.12.2023 तक **44,754** खातों में **रु 2,777.40** करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.12.2023 तक **6,388** खातों में **रु 284.08 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है।

Sector wise NPA Position as on 31st December, 2023

राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-
कुल- 3.36%
कृषि- 7.92%
एमएसएमई- 2.82%
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 1.92%
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.91%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-
कुल कृषि- 69.73%
कुल एमएसएमई- 25.44%
कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.83%

Comparison chart of NPA (%)

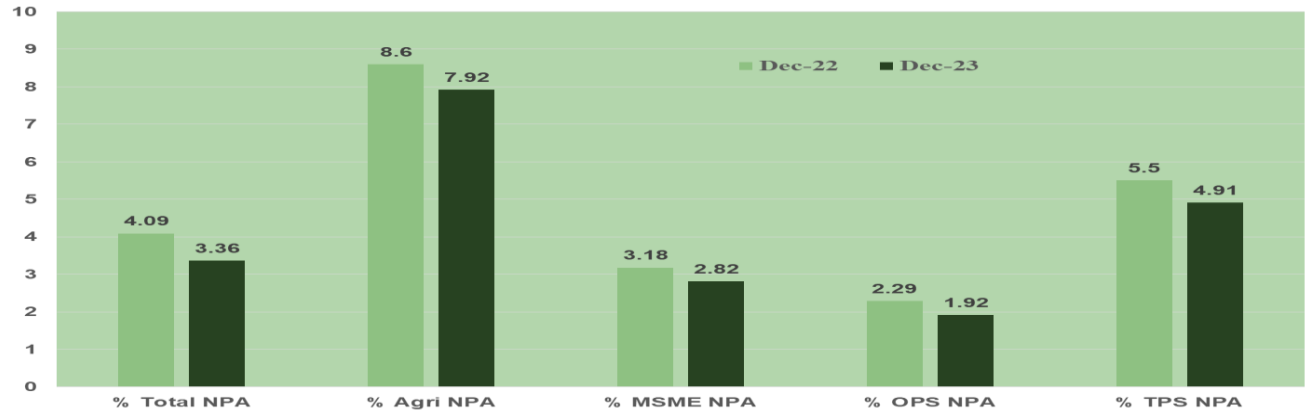

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केसीसी, PMJJBY और PMSBY में की गयी सराहनीय प्रगति की गति बनाए रखें एवं शाखाओं में कार्यरत स्टाफ और बैंक मित्रों को संवेदित कर उक्त योजनाओं समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्त करें।

सहायक, महाप्रबंधक, सीजीटीएमएसई ने CGTMSE योजना के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण दिया।

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

***